

## Case name

Bombay High Court and Supreme Court Judgments on Right to Life and Livelihood (1985)

## Case

लखित याचिका (एल) सं। दलिली उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ

## Brief Summary

यह फैसला महाराष्ट्र नगर नगिम अधिनियम, 1949 की धारा 314 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह से संबंधित था। हालाँकि, अदालत ने सीधे तौर पर इस धारा की वैधता पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय, इसने निर्देश दिया कि झुग्गियों और फुटपाथ पर रहने वालों की बेदखली पर 31 अक्टूबर, 2021 तक रोक लगाई जाए, ताकि इसमें शामिल कठिनाइयों को कम किया जा सके।

## Main Arguments

याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत मुख्य तर्क यह था कि झुग्गियों और फुटपाथ पर रहने वालों को बेदखल करने से प्रभावित व्यक्तियों को विशेष रूप से मानसून के मौसम में काफी कठिनाई होगी। याचिकाकर्ताओं ने संभवतः तर्क दिया कि बेदखली व्यक्तियों को रहने के लिए एक जगह के बिना छोड़ देगी, जिससे उनकी पहले से ही कमजोर स्थिति बिड़ जाएगी।

## Legal Precedents or Statutes Cited

फैसले में महाराष्ट्र नगर नगिम अधिनियम, 1949 की धारा 314 का उल्लेख किया गया है, जो स्थानीय अधिकारियों को झुग्गियों और फुटपाथ पर रहने वालों को बेदखल करने का अधिकार देता है। हालाँकि, यह सीधे तौर पर धारा की संवैधानिक वैधता को संबोधित नहीं करता है।

## Quotations from the court

प्रदत्त नरिणय में न्यायालय की ओर से कोई प्रत्यक्ष उद्धरण नहीं है।

## Present Court's Verdict

अदालत ने झुग्गियों और फुटपाथ पर रहने वालों की बेदखली पर 31 अक्टूबर, 2021 तक रोक लगाने का फैसला किया, ताकि इसमें शामिल कठिनाइयों को कम किया जा सके। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि फुटपाथ पर रहने वालों को, चाहे वे सेंसर किए गए हों या बिना सेंसर किए, उसी तारीख तक नहीं हटाया जाएगा। रटिवाचिकाओं का निपटारा तदनुसार किया गया, जिसमें लागत के बारे में कोई आदेश नहीं था।

## Conclusion

फैसले ने झुग्गियों और फुटपाथ पर रहने वालों की बेदखली पर 31 अक्टूबर, 2021 तक रोक लगा दी, ताकि इसमें शामिल कठिनाइयों को कम किया जा सके। अदालत के फैसले का उद्देश्य मानसून का मौसम समाप्त होने तक प्रभावित व्यक्तियों को अस्थायी राहत प्रदान करना था। यह निर्णय उन नीतियों या कानूनों को लागू करते समय कमजोर आबादी के कल्याण पर विचार करने के महत्व की याद दिलाता है जो उनके जीवन को प्रभावित कर सकते हैं।